न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 07/2017 तारीख रजू:– 29.09.2017

पीठासीन अधिकारी:– सुश्री जूही भार्गव आर.ए.एस.

उनवान

1. रामपति देवी पुत्री बद्री प्रसाद मीना निवासी गोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

प्रार्थीया

बनाम

1. भरोसी पुत्र सांवल
2. रामनाथ पुत्र सांवल
3. रघुनाथ पुत्र सावल
4. शिवनाथ पुत्र सावल
5. कोशल्या बेवा सावल
6. मल्ला पुत्र हरभजन
7. सुखराम पुत्र हरभजन
8. किस्तूरी वेवा हरभजन

समस्त जाति मीना निवासीयान गोरडा तहसील टोडाभीम

9. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:– श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट (प्रार्थीया)

श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (अप्रार्थी न0 3)

निर्णय **दिनांक:– 30.01.2019**

सक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि हाल ख0न0 453 रकवा 0.12 है0 भूमि पूर्व ख0न0 103 से बना है। पूर्व ख0न0 103 से भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 के अनुसार साबिक ख0न0 103 रकवा 9 विश्वा से वर्तमान ख0न0 453 रकवा 0.12 है0 बना है। जो प्रार्थीया की खातेदारी भूमि है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा लगातार चला आ रहा है। प्रार्थीया के पुराने ख0न0 103 व नये नम्बर 453 के दक्षिण दिशा मे अप्रार्थीगण का खेत पुराना ख0न0 104 के नये नम्बर 452 व 453/1684 बने है स्थित है। पुराने ख0न0 से नया ख0न0 का राजस्व रिकार्ड मे अंकन विधिवत दर्ज किया गया है। किन्तु नक्शे मे उक्त ख0न0 की तरमीम गलत दर्ज करते हुए ख0न0 104 पुराने से नये बने ख0न0 452, 453/1684 की नक्शे की तरमीम भी राजस्व रिकार्ड व पुराने ख0न0 104 के अनुसार अप्रार्थीगण के पुराने ख0न0 104 से बने नये ख0न0 मे की जानी चाहिए थी। परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने त्रुटीवश ख0न0 453/1684 की तरमीम मिलान क्षेत्रफल के विपरीत नक्शे मे ख0न0 103 से बने नये ख0न0 453 मे कर दी है। जबकि ख0न0 453/1684 पुराने ख0न0 104 से बना है। इसलिए उसकी तरमीम भी ख0न0 104 से बने नये ख0न0 452 के साथ उसी भू– भाग मे होनी चाहिए थी। इस प्रकार पुराने ख0न0 103 से बने नये ख0न0 453 मे गलत तरमीम कर

Scanned by CamScanner

दिए जाने से प्रार्थीया का नक्शा गलत तरमीम कर दिया गया है। जो दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुराने ख0न0 104 से वने नये ख0न0 453/1684 की भूमि नक्शे मे तरमीम प्रार्थीया के पुराने ख0न0 103 से वने नये ख0न0 453 मे से विलोपित की जाकर अप्रार्थीगण के पुराने ख0न0 104 से वने नये ख0न0 452 के साथ–साथ नक्शे मे तरमीम किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी न0 1 व 2 एवं 4 से 9 वावजूद सूचना उपस्थित नही हुए। इसलिए उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी न0 3 की और से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार जिन्दल ने उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी न0 3 के नाम न्यायालय के आदेशानुसार विधिवत बटवारा होने पर अप्रार्थी न0 3 के नाम खातेदारी आयी है। जिससे प्रार्थी व अन्य अप्रार्थी गण का कोई संबध नही है। साबिक ख0न0 103 रकवा 9 विस्वा पूर्व मे रामफूल, रामप्रसाद पुत्र धूडया के नाम दर्ज था। राजस्व रिकार्ड मे पुराने ख0न0 से नये राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जाना स्वीकार है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक ख0न0 104 से नवीन नक्शा सीट मे ख0न0 452 व 453/1684 सही दर्ज किया है। साबिक ख0न0 104 के दो टुकडे कर नवीन ख0न0 453/1684 रकवा 0.04 है0, 452 रकवा 0.14 है0 नक्शा ट्रेस भी सही तरमीम किया है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। विशेष विवरण मे अंकित किया है। कि उक्त ख0न0 के संबध मे प्रार्थीयान ने एक दावा वावत धोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती का उनवानी रामपति बनाम भरोसी वगै0 पेश किया था। प्रार्थीया ने उक्त दावा न्यायालय से विड्रो कर अप्रार्थीगण को परेशान करने की वजह से पेश किया है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तत्यो को दोहराते हुए कथन किया कि साबिक ख0न0 103 से बने नये ख0न0 453 का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे तो अंकन मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक सही किया है। किन्तु हाल नक्शा सीट मे साबिक ख0न0 104 से बने नये ख0न0 453/1684 की सीमा प्रार्थी के हाल ख0न0 453 की सीमा मे तरमीम कर दी जिससे नक्शा शीट मे क्षेत्र कम हो गया जबकि मौके पर साबिक नक्शा शीट के अनुसार कब्जा काश्त है। नक्शा शीट दुरूस्ता होना आवश्यक है। अप्रार्थी वकील ने बहस मे कथन किया कि साबिक ख0न0 104 का रकवा 14 विस्वा से बने नम्बर 452 रकवा 0.14 है0 व 453/1684 रकवा 0.04 है0 कुल रकवा 0.18 है0 सही है। नक्शा शीट दुरूस्त की जाती है तो अप्रार्थीया का रकवा कम हो जावेगा। वकील उभयपक्ष की बहस सुनकर न्याय की दृष्टि से सहूलियत हेतु तहसीलदार टोडाभीम से पुराने नक्शा ट्रेस व हाल नक्शा ट्रेस के आधार पर रिपोर्ट लिये जाने के आदेश दिए गए। तहसीलदार टोडाभीम के पत्रांकः– 186 दिनांक 21.01.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि साबिक नक्शा शीट नवीन ख0न0 453 मे से बटा नम्बर 453/1684 की लाईन हजफ की जानी चाहिए। तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील अप्रार्थी ने आपत्ति प्रस्तुत करने का निवेदन कर समय चाहा अप्रार्थी वकील ने तहसीलदार की रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की कि तहसीलदार टोडाभीम ने बिना मौका जॉच करे पक्षकारान को बिना नोटिस दिए रिपोर्ट तैयार कर ख0न0 453/1684 की लाईन हजफ करने की पेश की है जो निरस्त किए जाने योग्य है। इस आपत्ति की प्रति प्रार्थी वकील को दिलाई गई एवं बहस सुनी गई। वकील

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष की बहस सुनकर आपत्ति खारिज की जाती है। कि यह रिपोर्ट न्यायालय के उचित निर्णयानार्थ सहूलियत की दृष्टि से मगवाई गई है। इस प्रकरण को देरीना करने की दृष्टि से पेश की गई है। आपत्ति खारिज की जाती है।

मूल प्रार्थना पत्र हाल नक्शा शीट मे दुरूस्ती से संबधित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं साबिक नक्शा सीट पर हाल नक्शा सीट का मिलान किया गया। साबिक नक्शा शीट के ख0न0 103 से बने नये ख0न0 453 का क्षेत्रफल कम कर दिया गया है। हाल ख0न0 453/1684 की सीमा (लाईन) हाल ख0न0 453 मे खीच दी गई है। जिसे हजफ किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम गोरडा तहसील टोडाभीम के हाल ख0न0 453 मे ख0न0 453/1684 की लाईन हजफ करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार टोडाभीम को निर्णय की प्रति पालना हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री जूही भार्गव)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज.

Scanned by CamScanner